SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 22.12.2024

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) जोधपुर महानगर

किराया अधिनियम से सम्बंधित 10 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण में राजीनामा की सम्भावना देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 22.12.2024 हेतु चिन्हित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) जोधपुर महानगर के पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 04.12.2024 को दोनों पक्षकारान के मध्य प्री–काउंसलिंग करवाई गई। प्री–काउंसलिंग के पश्चात् दोनों पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा हेतु सहमत हुए। अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना–पत्र पेश कर जाहिर किया कि विवादित परिसर का खाली कब्जा प्रार्थी को लोक अदालत की भावना से सुपुर्द कर दिया है और बकाया किराया का भी भुगतान कर दिया गया है, अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। तत्पश्चात् पत्रावली लोक अदालत की बैंच के समक्ष रखी गई। इस प्रकार उक्त प्रकरण का लोकअदालत की भावना से राजीनामा के माध्यम से किया गया।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी

न्यायालय सिविल न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी के नियमित दीवानी वाद दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा इन मेन्डेटरी फोर्म में दिनांक 24.04.2012 के निर्णय के विरूद्ध दिनांक 26. 05.2012 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, हिण्डौन सिटी में अपील पेशी की गई। पक्षकारान के मध्य विवादित स्थल पर पानी निकासी को लेकर विवाद था। जिस पर प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षकारानों की समझाईश की गई। समझाईश के बाद विवादित स्थल पर पानी निकासी हेतु पक्षकारान द्वारा पाईप लगा लिया गया जिससे दोनों पक्षों के मध्य लगभग 18 वर्ष पुराने विवाद का लोक अदालत की भावना से निस्तारण हो गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–1, कोटा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–1, कोटा में एक प्रकरण में सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान/आश्रितगण के द्वारा क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थिति के उपरान्त राजीनाम की सम्भावना होने पर प्री–काउंसलिंग कराई गई तथा उभय पक्षों के मध्य 30,00,000/– रूपये में राजीनामा होने पर उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वारिसान द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा प्रकरण अन्तिम रूप से निस्तारित हो गया।

न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

दीवानी वाद प्रकरण में वादिनी द्वारा दिनांक 07.02.2008 को वास्ते घोषणा किये जाने निष्प्रभावी वसीयत दिनांक 03.12.2001 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के समक्ष पेश किया गया था। जहाँ से उक्त प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम–2, कोटा में विचाराधीन रहा एवं उक्त न्यायालय से दिनांक 06.10.2023 को अंतरित होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–6, कोटा में आया। उक्त वाद पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में करीब 16 वर्षों तक विचाराधीन रहा। उक्त प्रकरण में वादिनी की उम्र लगभग 100 वर्ष है।

उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षकारानों की समझाईश की गई। समझाईश के बाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाना जाहिर कर अधिवक्ता वादी ने वाद को विड्रॉ किया। जिससे दोनों पक्षों के मध्य लगभग 16 वर्ष पुराने विवाद का लोक अदालत की भावना से निस्तारण हो गया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"